



Neutral Citation No.-2026:AHC:8021

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-6766 वर्ष 2025**

**मंजू ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: सत्येंद्र नारायण सिंह, विनीत सिंह परमार**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: दिवाकर मिश्रा, अपर शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल**

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सत्येंद्र नारायण सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री कृपा कांत पांडे के साथ-साथ राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वीकेएस परमार को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा केस अपराध संख्या-97 वर्ष 2023, धारा 302, 120बी भ०द०वि०, थाना-गागलहेरी, जिला: सहारनपुर के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक एक महिला है और वह 21.9.2023 से यानी दो साल और सात महीने के लिए जेल में है, इस प्रकार, कैद की अवधि जमानत पर उसकी रिहाई के लिए एक वैध आधार है। आवेदक के खिलाफ अपराध केवल आपराधिक साजिश की श्रेणी में आ सकता है क्योंकि उसने अपराध को अंजाम देने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई है। सह-आरोपी व्यक्ति अजय के साथ आवेदक की बातचीत स्वाभाविक थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त बातचीत सह-आरोपी व्यक्ति को हत्या का अपराध करने की अनुमति देती है, इस प्रकार,



आवेदक जमानत का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

6. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि प्रासंगिक समय पर, जब अपराध किया गया था, आवेदक और सह-आरोपी व्यक्ति अजय के बीच चौंतीस बार बातचीत हुई थी, जो स्वाभाविक नहीं है। उक्त बातचीत अपराध में आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती है। आवेदक के सह-आरोपी व्यक्ति अजय के साथ अवैध संबंध थे, जिसे एक अज्ञात व्यक्ति के साथ विक्रम और मनोज द्वारा मृतक के साथ आवेदक के घर से निकलते हुए देखा गया था। आखिरी बार देखे गए साक्ष्य से यह भी स्थापित होता है कि मृतक सह-आरोपी व्यक्ति अजय के साथ जा रहा था। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्रस्तुत मामले में प्रासंगिक बिंदु आवेदक का घटना के बाद का आचरण होगा, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 की श्रेणी में आता है, क्योंकि आवेदक ने घटनास्थल छोड़ दिया था और उसका पता नहीं चल पाया था।

7. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक प्राथमिक आरोपी व्यक्ति है, जिसने सह-आरोपी व्यक्तियों के साथ उक्त अपराध किया और आवेदक के घटना के बाद के आचरण और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस समय सह-आरोपी व्यक्ति अजय के साथ उसकी चौंतीस बातचीत हुई थी, मुझे लगता है कि यह आवेदक को जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। जमानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।



जनवरी 13, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।